प्रज्ञा राष्ट्रवादी, लेकिन उनसे आतंकी जैसा सलूक हुआ : रामदेव

पटना, 26 अप्रैल (भाषा)।

योग गुरु रामदेव शुक्रवार को भाजपा नेता साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के समर्थन में सामने आए और उन्हें एक राष्ट्रवादी करार देते हुए कहा कि महज संदेह के आधार पर उन्हें नौ सालों तक गिरफ्तार कर जेल के अंदर प्रताड़ित किया गया, जैसे वह कोई आतंकवादी हों। योग गुरु पटना साहिब लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा परचा दाखिल करने के दौरान यहां पहुंचे थे।

रामदेव ने बताया कि यह गुनाह की पराकाष्ठा थी। आपने सिर्फ संदेह के आधार पर एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया और नौ सालों तक उसे शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना दी। उन्हें जिस तनाव से गुजरना पड़ा, उससे वह शारीरिक रूप से कमजोर और कैंसर से प्रभावित हो गईं। वह आतंकवादी नहीं, बल्कि राष्ट्रवादी महिला हैं। मालेगांव बम धमाकों की आरोपी प्रज्ञा ठाकुर द्वारा 26/11 आतंकी हमले में शहीद हुए मुंबई एटीएस के पूर्व प्रमुख हेमंत करकरे को लेकर दिए गए बयान कि उनकी मौत उनके 'शाप' की वजह से हुई, के बारे में उन्होंने कहा कि हमें महिला के प्रति कुछ संवेदना दिखानी चाहिए और उस व्यथा और कड़वाहट को समझने की कोशिश करनी चाहिए, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा बयान दिया होगा।

क्या वह भोपाल जाकर प्रज्ञा ठाकुर के पक्ष में प्रचार करने जाएंगे, रामदेव ने कहा कि मैंने आपसे जो कहा वह आपको सुर्खियां देने के लिए पर्याप्त हैं। कृपया इससे संतुष्ट रहें। योग गुरु ने कहा कि आमतौर पर वह नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान नेताओं के साथ नहीं रहते, लेकिन प्रसाद के लिए वह आए हैं, क्योंकि उन्हें वह पाटलिपुत्र के लिए मंगलकारी मानते हैं, जैसे मोदी देश के लिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी का सिर्फ एक एजेंडा है भारत को महाशक्ति बनाना। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए वह रोजाना 16-20 घंटा काम करते हैं। उनका दिमाग एक तरफ केंद्रित है, क्योंकि उनका कोई परिवार नहीं है न ही कोई अन्य भटकाव।

पणजी उपचुनाव लड़ेंगे वेलिंगकर

पणजी, 26 अप्रैल (भाषा)।

गोवा सुरक्षा मंच ने शुक्रवार को घोषणा की कि उसके मार्गदर्शक सुभाष वेलिंगकर 19 मई को होने वाला पणजी उपचुनाव लड़ेंगे। 17 मार्च को इस सीट से विधायक और तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर की मृत्यु के कारण उपचुनाव कराने की आवश्यकता पड़ गई।

मायावती के कार्यकाल में चीनी मिलों की बिक्री की जांच शुरू

नई दिल्ली, 26 अप्रैल (भाषा)।

सीबीआइ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर मायावती के कार्यकाल के दौरान 21 सरकारी चीनी मिलों की बिक्री में हुई कथित अनियमितता की जांच शुरू की है, जिससे बसपा सुप्रीमो की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

अधिकारियों ने बताया कि 2011-12 में मायावती के कार्यकाल के दौरान चीनी मिलों की बिक्री से सरकारी खजाने को कथित तौर पर 1,179 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। उन्होंने कहा कि सीबीआइ ने कथित अनियमितताओं की जांच के लिए एक प्राथमिकी दर्ज की है और छह प्रारंभिक जांच (पीई) शुरू की है। राज्य सरकार ने पिछले साल 12 अप्रैल को इस मामले में सीबीआइ जांच कराने की सिफारिश की थी।

अधिकारियों ने बताया कि जांच एजंसी ने इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के किसी अधिकारी या राज्य के किसी नेता को नामजद आरोपी नहीं बनाया है। उन्होंने कहा कि सीबीआइ ने उन सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड की मिलों की खरीद के दौरान फर्जी दस्तावेज जमा किए थे।

पत्नी की हत्या कर पति फरार, मामला दर्ज

ठाणे, 26 अप्रैल (भाषा)।

जिले के कल्याण शहर में एक विवाद को लेकर 52 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी पत्नी की छुरा मार कर कथित तौर पर हत्या कर दी और बेटी पर हमला किया। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि ऑटोरिक्शा चालक आरोपी मोहन गुरुनाथ महाजन पर गुरुवार रात में हुए अपराध का मामला दर्ज किया गया।

पुलिस के मुताबिक, महाजन का परिवार कल्याण के ठनकर पाडा इलाके में रहता था। पिछले कुछ सालों से दंपति के बीच कुछ मतभेद था और छोटी-छोटी बातों को लेकर उनमें तकरार हो जाती थी। पुलिस ने बताया कि दो साल पहले आरोपी ने अपने परिवार को छोड़ दिया और अलग रहना शुरू कर दिया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि गुरुवार रात में महाजन अपने परिवार से मिलने आया। इसके बाद उसकी पत्नी मनीषा से तकरार हो गई। गुस्से में आकर उसने धारदार हथियार से पत्नी पर कई बार वार किया। उसने अपनी 24 वर्षीय बेटी पर भी हमला किया और घटनास्थल से फरार हो गया।

दोनों महिलाओं को नजदीक के एक अस्पताल में ले जाया गया, जहां आरोपी की पत्नी को मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि महाजन फरार है। उसके खिलाफ आइपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

जालंधर मोटर एजेंसी (दिल्ली) लिमिटेड
CIN: L35999HR1998PLC033943
पंजी. कार्या.: 458-1/16, सोहना रोड,
न्यू कोर्ट के सामने, गुरुग्राम (गुड़गांव) –
122001, हरियाणा, इंडिया
फोन न0. 0124-3019210, 211
ईमेल आईडी: info@jmaindia.com,
वेबसाइट: www.jmaindia.com

सूचना

एतद्द्वारा **सूचित** किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 42 एवं कोई अन्य विनियम(मों), यदि लागू हो, के अनुसरण में, कम्पनी ने अंकित मूल्य आईएनआर 10/- (आईएनआर दस मात्र) प्रत्येक पूर्णतः प्रदत्त एक (01) इक्विटी शेयर को आईएनआर 02/- (आईएनआर दो मात्र) प्रत्येक पूर्णतः प्रदत्त पांच (05) इक्विटी शेयरों में उप-विभाजन के प्रयोजन हेतु बुधवार, 15 मई, 2019 को रिकार्ड तिथि के रूप में निर्धारित किया है। बुधवार, 15 मई, 2019 की समाप्ति तक प्राप्त अंतरण/हस्तांतरण दस्तावेजों की उप-विभाजन के प्रयोजन हेतु गणना की जाएगी।

उपरोक्त विवरण कंपनी की वेबसाइट www.jmaindia.com और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।

कृते जालंधर मोटर एजेंसी (दिल्ली) लिमिटेड
हस्ता/-
सीएस सचिन सलूजा
(कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी)
(एम. स0. ए24269)

स्थानः गुरुग्राम
तिथि: 26.04.2019

MC2

ESCORTS FINANCE LIMITED
(CIN : L65910CH1987PLC033652)
Regd. Office: SCO – 64-65, 3rd Floor, Sector – 17A, Chandigarh – 160 017
Phone: 0129-2564116
E-mail: escortsfinance@escorts.co.in
Website: www.escortsfinance.com

NOTICE

{Under Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015}

Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Saturday, May 4, 2019, inter-alia, to consider, approve and take on record the following:

(I) Audited Financial Results (Standalone) of the Company for the quarter/ year ended March 31, 2019; and
(ii) Audited Financial Results (Consolidated) of the Company for the year ended March 31, 2019.

Further the information is available on the Company's and BSE websites i.e. www.escortsfinance.com and www.bseindia.com.

By order of the Board
For Escorts Finance Limited
Sd/-
Vicky Chauhan
Company Secretary

Place : Faridabad
Date : 26.04.2019

SOUTH INDIAN Bank

शाखा-शालीमार बाग
फोन नं. 011-27486296
स्वर्ण नीलामी सह आमंत्रण सूचना

नीचे वर्णित ऋणधारकों को साउथ इंडियन बैंक, शालीमार बाग शाखा से स्वर्णाभूषणों की गिरवी के प्रति स्वीकृत ऋण की बकाया राशि का भुगतान करने के लिये सूचनाएं जारी की गई थी। चूंकि, ऋणधारक समय पर अपनी देयताओं के भुगतान में विफल रहे, अतः हम 8 मई, 2019 को गिरवी रखी गई स्वार्णाभूषणों की नीलामी आयोजित करने के लिये बाध्य हैं, साउथ इंडियन बैंक को बिना किसी पूर्व सूचना के नीलामी प्रक्रिया से अधोलिखित किसी खाताओं को हटाने के साथ किसी भी समय नीलामी को स्थगित करने का अधिकार प्राप्त है। पुनः साउथ इंडियन बैंक को बिना किसी पूर्व सूचना के नीलामी की तिथि में परिवर्तन करने का अधिकार है।

क्रम सं.	ऋण खाता सं.	ग्राहक का नाम	ग्राहक का पता	आभूषणों का शुद्ध वजन (ग्राम में)
1.	0725.653.306	श्री प्रदीप गर्ग	ए2/13, ब्लॉक ए 2, सेक-3, रोहिणी, दिल्ली-110085	47.94
2.	0725.653.319	श्री प्रदीप गर्ग	ए2/13, ब्लॉक ए 2, सेक-3, रोहिणी, दिल्ली-110085	48.56
3.	0725.653.320	श्री प्रदीप गर्ग	ए2/13, ब्लॉक ए 2, सेक-3, रोहिणी, दिल्ली-110085	50.54
4.	0725.653.321	श्री प्रदीप गर्ग	ए2/13, ब्लॉक ए 2, सेक-3, रोहिणी, दिल्ली-110085	57.05

यह नीलामी द साउथ इंडियन बैंक, बीटी-1, शालीमार बाग, नई दिल्ली-110088 में 11.00 बजे पूर्वा से 1.00 बजे अप. तक आयोजित की जायेगी।

यदि ग्राहक की मृत्यु हो गई हो तो नीलामी से संबंधित सभी शर्तें उनके सांविधिक उत्तराधिकारियों पर लागू होंगे। इच्छुक पार्टी ऊपर दर्शाई गई समय के अनुसार नीलामी की तिथि को एक फोटोग्राफ, वैध पहचान एंव पते के प्रमाण के साथ पैन कार्ड की प्रति के साथ साउथ इंडियन बैंक के उपरोक्त परिसर में पधार सकते हैं। अन्य नियम एवं शर्तें नीलामी प्रक्रिया के समय में सूचित की जायेगी।

तिथि: 27.04.2019 स्थानः शालीमार बाग, दिल्ली **शाखा प्रबंधक**

UJJIVAN SMALL FINANCE BANK

दूसरा तल, जीएमटीटी भवन डी-7 सैक्टर 3 नोएडा (उ.प्र.) 201301

कब्जा सूचना (अचल संपत्तियों के लिए) [नियम-8(1)]

चूंकि, **उज्जीवन स्माल फाइनांस बैंक लि.** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनःनिर्माण तथा प्रतिभूति ब्याज के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) के नियमों, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कथित नोटिस के प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में वर्णित राशि की अदायगी के लिए कर्जदार/गारंटर को आमंत्रित करते हुए यहां नीचे वर्णित तिथियों को कर्जदारों/गारंटरों को डिमांड नोटिस जारी किया था।

कर्जदार/रेहनकर्ता, सह-कर्जदार/रेहनकर्ता व सह-कर्जदार द्वारा राशि की अदायगी करने में असफल रहने पर कर्जदार/रेहनकर्ता, सह-कर्जदार/रेहनकर्ता व सह-कर्जदार व सामान्य तौर पर जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन नियमों, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़ते हुए कथित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक खाते के अंतर्गत वर्णित तिथियों को यहां नीचे वर्णित सम्पत्तियों का प्रतीकात्मक कब्जा ले लिया है।

कर्जदार/रेहनकर्ता, सह-कर्जदार/रेहनकर्ता व सह-कर्जदार के ध्यान में लाया जाता है कि कथित अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रतिभूतित सम्पत्तियों को बचाने के समय उपलब्ध है।

कर्जदार/रेहनकर्ता, सह-कर्जदार/रेहनकर्ता व सह-कर्जदार को विशेष तौर पर व आम जनता को सामान्य तौर पर कथित नीचे वर्णित सम्पत्तियों के साथ लेन-देन करने से एतद्द्वारा सावधान किया जाता है और कथित सम्पत्तियों के साथ कोई भी लेन प्रत्येक खाते के अंतर्गत यहां नीचे वर्णित राशि के अलावा ब्याज व अन्य प्रभार/खर्चों के लिए **उज्जीवन स्माल फाइनांस बैंक लि.** के प्रभार के अधीन होगा।

कर्जदार/रेहनकर्ता के नाम	अचल परिसंपत्तियों का विवरण	डिमांड नोटिस की तिथि	कब्जे की तिथि	डिमांड नोटिस के अनुसार बकाया
श्रीमती मीरा देवी पत्नी श्री राम प्रकाश व सह-कर्जदार/रेहनकर्ता, श्री राम प्रकाश सुपुत्र श्री रघुवर दयाल दोनों निवासी म. नं. 86, नवीन कुंज नगर पालिका लोनी देहात गाजियाबाद-201102 उत्तर प्रदेश। **ऋण खाता सं.** 22037560000003	खसरा नं. 94, म. नं. 86, नवीन कुंज, नगर पालिका लोनी गाजियाबाद-201102 उत्तर प्रदेश में स्थित रकबा 50 वर्ग यार्ड के साथ भवन तथा उस पर सभी सुधार के सभी अनिवार्य अंग। **सीमाबद्ध: पूर्व:** अन्य का प्लॉट, **पश्चिम:** 20 फुट चौड़ी सड़क, **उत्तर:** सड़क, **दक्षिण:** अन्य का प्लॉट।	17.08.2018	25.04.2019	5,04,175/- रु. वर्तमान बकाया 5,49,696/- रु. जो 24.04.2019 को है (व उस पर ब्याज)
श्री सुखलाल सिंह सुपुत्र जयराम व सह-कर्जदार/रेहनकर्ता श्रीमती सुनीता पत्नी श्री सुखलाल सिंह दोनों निवासी म. नं. 91,2, सन शाइन पब्लिक स्कूल नवीन कुंज, बनथला गाजियाबाद-201102 उत्तर प्रदेश। **ऋण खाता सं.** 22037560000002	खसरा नं. 94, म. नं. 91,2, सन शाइन पब्लिक स्कूल नवीन कुंज, बनथला गाजियाबाद-201102 उत्तर प्रदेश में स्थित रकबा 25 वर्ग यार्ड के साथ भवन तथा उस पर सभी सुधार के सभी अनिवार्य अंग। **सीमाबद्ध: पूर्व:** 10 फुट चौड़ी सड़क, **पश्चिम:** अन्य की संपत्ति, **उत्तर:** नरेश की संपत्ति, **दक्षिण:** मनी राम की संपत्ति।	17.08.2018	25.04.2019	2,26,292/- रु. वर्तमान बकाया 1,73,599/- रु. जो 24.04.2019 को देय है (और उस पर ब्याज)
मो. युसुफ सलमानी सुपुत्र मो. उमर सलमानी, निवासी म. नं. 100, के. नं. 4152, पीर कॉलोनी, नजदीक बिलाल मस्जिद पसौंदा, गाजियाबाद-201005 उत्तर प्रदेश, सह-कर्जदार/रेहनकर्ता **मो. अबिद सलमानी सुपुत्र मो. उमर सलमानी और मो. उमर सलमानी सुपुत्र छोटे** दोनों निवासी म. नं. 227/ए, पसौंदा नजदीक पसौंदा चौक साहिबाबाद, गाजियाबाद-201005 उत्तर प्रदेश **ऋण खाता सं.** 22037560000005	म. नं. 100, खसरा नं. 4152, पीर कॉलोनी, नजदीक बिलाल मस्जिद पसौंदा, गाजियाबाद-201102 उत्तर प्रदेश में स्थित रकबा 30.05 वर्ग यार्ड के साथ भवन तथा उस पर सभी सुधार के सभी अनिवार्य अंग। **सीमाबद्ध: पूर्व:** 8 फुट चौड़ी सड़क, **पश्चिम:** अयूब की संपत्ति, **उत्तर:** मुनीष की संपत्ति, **दक्षिण:** उस्मान की संपत्ति।	17.08.2018	25.04.2019	3,93,363/- रु. वर्तमान बकाया 3,55,165/- रु. जो 24.04.2019 को देय है (और उस पर ब्याज)
श्री अब्दुल कलाम, श्री अब्दुल निज़ाम और श्रीमती ज़रीना सभी निवासी नं. ए-25/2, शिव वाटिका नहर रोड, बहायता हाजीपुर, गाजियाबाद, उ.प्र.-201102 **ऋण खाता सं.** 22037570000001	शिव वाटिका, गांव बेहता हाजीपुर परगना व तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद में स्थित फ्रीहोल्ड रिहायशी प्लॉट नं. सी-46/2, रकबा 50 वर्ग यार्ड, खसरा नं. 574 मिन के साथ 670 वर्ग फुट के विस्तार वाला दो मंजिला भवन तथा उस पर सभी सुधार के सभी अनिवार्य अंग।	04.06.2018	25.04.2019	7,93,558/- रु. वर्तमान बकाया 8,06,672/- रु. जो 24.04.2019 को देय है (और उस पर ब्याज)

सीमाबद्ध: पूर्व: राज कुमार का प्लॉट नं. 46/3, **पश्चिम:** प्लॉट नं. 46, **उत्तर:** 15 फुट चौड़ी सड़क, **दक्षिण:** अन्य की संपत्ति।

दिनांक: 26.04.2019 **स्थान:** गाजियाबाद **प्राधिकृत अधिकारी**

एवरब्राइट ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड
CIN: U51109DL2007PTC316106
पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट नं0. ए1 और ए2, रोड नं0. 43, मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया, कम्युनिटी सेन्टर, पीतमपुरा, फेज 2, नई दिल्ली-110034
ईमेल आईडी: cs@lahag.com

फॉर्म सं. आईएनसी-26
[कंपनीज़ (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार]

केन्द्रीय सरकार के समक्ष, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली

कंपनीज़ अधिनियम, 2013, कंपनीज़ अधिनियम, 2013 की धारा 13(4), और कंपनीज़ (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5)(ए) के मामलें में

तथा

एवरब्राइट ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट न0. ए1 और ए2, रोड न0. 43, मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया, कम्युनिटी सेन्टर, पीतमपुरा, फेज 2, नई दिल्ली-110034 में है के मामलें में **याचिकाकर्ता**

एतद्द्वारा सामान्य जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को **"दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र"** से **"हरियाणा राज्य"** में बदलने में सक्षम करने हेतु कंपनीज़ अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अन्तर्गत 28.04.2018 को आयोजित कंपनी की असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुकूल, केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी की संस्था बहि नियमावली में परिवर्तन करने की याचिका प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है तो वह **निवेशक शिकायत प्रारूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल ;www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है** या शपथपत्र द्वारा समर्थित उसके हित की प्रकृति एवं विरोध का आधार बताते हुए, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के अन्दर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र पीठ के बी-2 विंग, 2 फ्लोर, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली- 110003 पर पंजीकृत डाक द्वारा सूचित करें, और एक प्रतिलिपि आवेदक कंपनी के निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय के पते पर भेजी जानी चाहिए:

पता: प्लॉट न0. ए1 और ए2, रोड न0. 43, मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया, कम्युनिटी सेन्टर, पीतमपुरा, फेज 2, नई दिल्ली-110034

कृते और बोर्ड की ओर से
एवरब्राइट ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता/-
राम रतन
निदेशक
DIN-07262821

स्थानः दिल्ली
तिथि: 26.04.2019

सम्राट फिनकैप प्राईवेट लिमिटेड
(पूर्व में रैप्स सिक्युरिटीज प्राईवेट लिमिटेड के नाम से विदित)
पंजी. कार्यालयः 327/सी-8, सेक्टर-8, रोहिणी, दिल्ली-110085
CIN: U65100DL1995PTC067117
Email Id: arun10588@gmail.com

सूचना

विषयः कम्पनी के नाम में परिवर्तन

सूचित किया जाता है कि कम्पनी रजिस्ट्रार, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा द्वारा जारी की गई नाम के परिवर्तन के अनुसार जारी की गई निगमन के नये प्रमाणपत्र के अनुसार 13.4.2019 से कम्पनी का नाम "रैप्स सिक्युरिटीज प्राईवेट लिमिटेड" से बदलकर "सम्राट फिनकैप प्राईवेट लिमिटेड" हो गया है। उपरोक्त रूप में कम्पनी के नाम में परिवर्तन से कम्पनी की सांविधिक स्थिति अथवा उसके संविधान में कोई परिवर्तन नहीं होगा और न ही इससे कम्पनी के किसी अधिकार अथवा दायित्व पर ही कोई प्रभाव पड़ेगा।

यह कम्पनी पंजी. सं. बी-14.01607 तिथि 29.01.2000 के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकृत एक गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी है।

कृत्ते एवं के लिये
सम्राट फिनकैप प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता./-
अरुण इन्दरचन्द बोहरा
निदेशक
DIN:07739626

स्थानः नई दिल्ली
तिथि: 25.4.2019

(प्रपत्र सं आइएनसी 26)
[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]

केन्द्रीय सरकार/प्रादेशिक निदेशक के समक्ष उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (अ) के मामले में
और
आर एच एस फास्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड
जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : प्लॉट -8, जागरीति एनक्लेव विकास मार्ग नई दिल्ली – 110092 में स्थित है
.......याचिकाकर्ता

सूचना

आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से उत्तर प्रदेश राज्य में स्थानांतरित करने के लिए तारीख 14 मार्च, 2019 को आयोजित असाधारण सामान्य अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ मे कंपनी के संघम ज्ञापन मे संशोधन की पुष्टि की मांग की गई हैं।

कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्रपत्र फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनो के भीतर बी-2 विंग, द्वितीय तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 पते पर पंजीकृत डाक दवारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके उपरोक्त रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा।

आर एच एस फास्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड
रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : प्लॉट -8, जागरीति एनक्लेव विकास मार्ग नई दिल्ली – 110092

के लिए और निदेशक मंडल की और से
आर एच एस फास्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता./-
ओम दत्त शर्मा
निदेशक
डीआईएन : 00911598

तिथि : 25.04.2019
स्थान : नई दिल्ली

शिवधारा कोमोडील प्राइवेट लिमिटेड
CIN: U51909DL2010PTC316105
पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट नं0. ए1 और ए2, रोड नं0. 43, मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया, कम्युनिटी सेन्टर, पीतमपुरा, फेज 2, नई दिल्ली-110034
ईमेल आईडी: cs@lahag.com

फॉर्म सं. आईएनसी-26
[कंपनीज़ (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार]

केन्द्रीय सरकार के समक्ष, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली

कंपनीज़ अधिनियम, 2013, कंपनीज़ अधिनियम, 2013 की धारा 13(4), और कंपनीज़ (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5)(ए) के मामलें में

तथा

शिवधारा कोमोडील प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट न0. ए1 और ए2, रोड न0. 43, मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया, कम्युनिटी सेन्टर, पीतमपुरा, फेज 2, नई दिल्ली-110034 में है के मामलें में **याचिकाकर्ता**

एतद्द्वारा सामान्य जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को **"दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र"** से **"हरियाणा राज्य"** में बदलने में सक्षम करने हेतु कंपनीज़ अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अन्तर्गत 28.04.2018 को आयोजित कंपनी की असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुकूल, केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी की संस्था बहि नियमावली में परिवर्तन करने की याचिका प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है तो वह **निवेशक शिकायत प्रारूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है** या शपथपत्र द्वारा समर्थित उसके हित की प्रकृति एवं विरोध का आधार बताते हुए, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के अन्दर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र पीठ के बी-2 विंग, 2 फ्लोर, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003 पर पंजीकृत डाक द्वारा सूचित करें, और एक प्रतिलिपि आवेदक कंपनी के निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय के पते पर भेजी जानी चाहिए:

पता: प्लॉट न0. ए1 और ए2, रोड न0. 43, मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया, कम्युनिटी सेन्टर, पीतमपुरा, फेज 2, नई दिल्ली-110034

कृते और बोर्ड की ओर से
शिवधारा कोमोडील प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता/-
मदन पाल सिंह
निदेशक
DIN-02651861

स्थानः दिल्ली
तिथि: 26.04.2019

"प्ररुप संख्या आईएनसी-25ए"
पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में संपरिवर्तन के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन

क्षेत्रीय निदेशक, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के समक्ष उत्तरी क्षेत्र
कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 41 के मामले में
मैसर्स **यूरेशिया डोर डिवाइसेस लिमिटेड** जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : 287, फाटक करोर अजमेरी गेट दिल्ली- 110006 में स्थित है के मामले में,
....आवेदक

आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि कंपनी को ऐसे संपरिवर्तन का अधिकार देने के लिए तारीख 28 मार्च, 2019 को आयोजित विशेष आम अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प की शर्तों के अनुसार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में संपरिवर्तन करने की इच्छा रखने वाली कंपनी ने पूर्वोक्त नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के तहत केंद्र सरकार को एक अधीन आवेदन किया है।

कंपनी के प्रस्तावित परिवर्तन/स्थिति के कारण यदि किसी व्यक्ति के हित पर प्रभाव पड़ने की संभावना है तो वह व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह दिन के भीतर निम्नलिखित पते पर आवेदक कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय को भेजी गई प्रति सहित किसी हलफनामे द्वारा अपनी आपत्ति भेज सकता है या किसी के माध्यम से भिजवा सकता है या रजिस्ट्रीकृत पोस्ट द्वारा भेज सकता है जिसमें संबंधित निदेशक (बी-2 विंग, दूसरा तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003) को उसके हित और आपत्ति के आधार की प्रकृति का उल्लेख किया जाएगा।

आवेदक के लिए या उसकी ओर से
यूरेशिया डोर डिवाइसेस लिमिटेड
हस्ता/-
शशि मोहन गर्ग
निदेशक
डीआईएन : 00098274
7 इस्टर्न एवेन्यू श्रीनिवासपुरी, महारानी बाग नई दिल्ली – 110065

तारीख : 25.04.2019
स्थान : दिल्ली

रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : 287, फाटक करोर अजमेरी गेट दिल्ली- 110006

(प्रपत्र सं आइएनसी 26)
[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण मे]

केन्द्रीय सरकार/प्रादेशिक निदेशक के समक्ष उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (अ) के मामले में
और
दिगम्बर पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड
जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : ई/1064, जी/एफ लोहिया गली नं. – 5 ईस्ट बाबरपुर शाहदरा दिल्ली – 110032 में स्थित है
.......याचिकाकर्ता

सूचना

आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से उत्तर प्रदेश राज्य में स्थानांतरित करने के लिए तारीख 15 मार्च, 2019 को आयोजित असाधारण सामान्य अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ मे कंपनी के संघम ज्ञापन मे संशोधन की पुष्टि की मांग की गई हैं।

कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्रपत्र फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनो के भीतर बी-2 विंग, द्वितीय तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 पते पर पंजीकृत डाक दवारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके उपरोक्त रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा।

दिगम्बर पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड
रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : ई/1064, जी/एफ लोहिया गली नं. – 5 ईस्ट बाबरपुर शाहदरा दिल्ली – 110032

के लिए और निदेशक मंडल की और से
दिगम्बर पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता./-
सुनील जैन
निदेशक
डीआईएन : 00911503

तिथि : 25.04.2019
स्थान : नई दिल्ली

प्ररूप संख्या आईएनसी-26
[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]

कंपनी का पंजीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में अंतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन

केन्द्रीय सरकार के समक्ष उत्तरी क्षेत्र

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 1-3 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (क) के मामले में
और
सन एग्रोजिन्क प्राईवेट लिमिटेड
जिसका पंजीकृत कार्यालय जी-131, गर्ग प्लाजा, नेशनल मार्किट के सामने, बेहरा एन्कलेव, पश्चिम विहार, नई दिल्ली में स्थित है, के मामले में
निदेशक गौरव गर्ग
.........**याचिकाकर्ता**

आम जनता को यह **नोटिस** दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय **"दिल्ली स्टेट ऑफ नेशनल कैपिटल टैरिटरी से "स्टेट ऑफ हरियाणा"** में स्थानांतरित करने के लिए **दिनांक 01.04.2019** को आयोजित वार्षिक साधारण अधिवेशन/असाधारण अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर **एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत** दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर उत्तरी क्षेत्र, डॉ राज सिंह बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली के पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकते हैं और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी भेजेगा:

आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से
सन एग्रोजिन्क प्राईवेट लिमिटेड
तारीख: 25.04.2019 निदेशक – गौरव गर्ग
स्थान: दिल्ली डीआईएन 02003954

रामायण विनकॉम प्राइवेट लिमिटेड
CIN: U51909DL2009PTC316104
पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट नं0. ए1 और ए2, रोड नं0. 43, मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया, कम्युनिटी सेन्टर, पीतमपुरा, फेज 2, नई दिल्ली-110034
ईमेल आईडी: cs@lahag.com

फॉर्म सं. आईएनसी-26
[कंपनीज़ (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार]

केन्द्रीय सरकार के समक्ष, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली

कंपनीज़ अधिनियम, 2013, कंपनीज़ अधिनियम, 2013 की धारा 13(4), और कंपनीज़ (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5)(ए) के मामलें में

तथा

रामायण विनकॉम प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट न0. ए1 और ए2, रोड न0. 43, मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया, कम्युनिटी सेन्टर, पीतमपुरा, फेज 2, नई दिल्ली-110034 में है के मामलें में **याचिकाकर्ता**

एतद्द्वारा सामान्य जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को **"दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र"** से **"हरियाणा राज्य"** में बदलने में सक्षम करने हेतु कंपनीज़ अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अन्तर्गत 28.04.2018 को आयोजित कंपनी की असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुकूल, केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी की संस्था बहि नियमावली में परिवर्तन करने की याचिका प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है तो वह **निवेशक शिकायत प्रारूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है** या शपथपत्र द्वारा समर्थित उसके हित की प्रकृति एवं विरोध का आधार बताते हुए, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के अन्दर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र पीठ के बी-2 विंग, 2 फ्लोर, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली- 110003 पर पंजीकृत डाक द्वारा सूचित करें, और एक प्रतिलिपि आवेदक कंपनी के निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय के पते पर भेजी जानी चाहिए:

पता: प्लॉट न0. ए1 और ए2, रोड न0. 43, मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया, कम्युनिटी सेन्टर, पीतमपुरा, फेज 2, नई दिल्ली-110034

कृते और बोर्ड की ओर से
रामायण विनकॉम प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता/-
मुकेश कुमार शर्मा
निदेशक
DIN-08207626

स्थानः दिल्ली
तिथि: 26.04.2019

हिन्दुस्तान हॉस्पिटेलिटी प्राइवेट लिमिटेड
CIN-U93000DL2016PTC298282
पंजीकृत कार्यालयः डी-10/1, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020
ईमेल आईडी: cs@lahag.com

फॉर्म सं. आईएनसी-26
[कंपनीज़ (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार]

केन्द्रीय सरकार के समक्ष, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र

कंपनीज़ अधिनियम, 2013, कंपनीज़ अधिनियम, 2013 की धारा 13(4), और कंपनीज़ (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5)(ए) के मामलें में

तथा

हिन्दुस्तान हॉस्पिटेलिटी प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय डी-10/1, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020 में है के मामलें में **याचिकाकर्ता**

एतद्द्वारा सामान्य जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को **"दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र"** से **"हरियाणा राज्य"** में बदलने में सक्षम करने हेतु कंपनीज़ अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अन्तर्गत 25.02.2019 को आयोजित कंपनी की असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुकूल, केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी की संस्था बहि नियमावली में परिवर्तन करने की याचिका प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है।

यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है तो वह **निवेशक शिकायत प्रारूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है** या शपथपत्र द्वारा समर्थित उसके हित की प्रकृति एवं विरोध का आधार बताते हुए, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के अन्दर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र पीठ के बी-2 विंग, 2 फ्लोर, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली - 110003 पर पंजीकृत डाक द्वारा सूचित करें, और एक प्रतिलिपि आवेदक कंपनी के निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय के पते पर भेजी जानी चाहिए:

पता: डी-10/1, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020

कृते और बोर्ड की ओर से
हिन्दुस्तान हॉस्पिटेलिटी प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता/-
राम रतन
(निदेशक)
DIN: 07262821

स्थानः दिल्ली
तिथि: 26.04.2019

ट्रिनिटी लीग इंडिया लिमिटेड
पंजी. कार्यालय : ए-23, मंदाकिनी एन्क्लेव, अलकनंदा, जीके-II, नई दिल्ली-110019
फोन : 011-40562329, **वेबसाइट :** www.trinityasia.in; **सीआईएन :** एल93000डीएल1988पीएलसी031953
ई-मेल : trinityleague@trinitygroup.ind.in

सूचना

एतद्द्वारा सेबी सूचीयन विनियमावली, 2015 (एलओडीआर) के विनियम 29 और 47 के अनुसरण में सूचना दी जाती है कि कम्पनी की 01/2019-20 बैठक बुधवार, 08 मई, 2019 को अप. 01.00 बजे कम्पनी के कार्पोरेट कार्यालय ट्रिनिटी टावर, बी-02, सेक्टर-7, नोएडा-201301 में आयोजित की जानी निर्धारित है, जिसमें, अन्य के साथ, 31 मार्च, 2019 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए कम्पनी के पृथक्कृत लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम विचारित एवं अनुमोदित किए जाएंगे।

सूचना में दी गई जानकारी कम्पनी की वेबसाइट www.trinityasia.in तथा स्टॉक एक्सचेन्ज वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

वास्ते ट्रिनिटी लीग इंडिया लिमिटेड
हस्ता./-
धर्मेन्द्र कुमार
(कम्पनी सेक्रेटरी एवं अनुपालन अधिकारी)

स्थान : नोएडा
तिथि : 27-04-2019

प्ररुप संख्या आईएनसी – 26
(कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)
प्रादेशिक निदेशक के समक्ष उत्तरी क्षेत्र,
(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (6) के खंड (अ) के मामले में
और
आशियाना रोलिंग मिल्स लिमिटेड
(CIN : U67120DL1995PLC071415)
इसका पंजीकृत कार्यालय : 6 टोडर मल लेन, ग्राउंड फ्लोर, नियर बंगाली मार्केट, दिल्ली-110001 में है, के मामले में
...आवेदक

आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी गुरुवार 18 अप्रैल, 2019 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में अपने पंजीकृत कार्यालय को "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "गुजरात राज्य" में परिवर्तित करने के लिए कम्पनी के संस्था के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि चाहने हेतु कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रादेशिक निदेशक के समक्ष उत्तरी क्षेत्र के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कोई भी व्यक्ति जिसका कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से कोई भी हित प्रभावित होने की संभावना हो, वह अपने हित के प्रभाव से संबंधित आश्रय एवं आपत्ति की पृष्ठभूमि को दर्शाते हुए एक शपथपत्र के साथ अपनी आपत्ति एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत फार्म दाखिल करके या पंजीकृत डाक द्वारा क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय बी-विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, लोधी रोड नई दिल्ली-110003 के पास इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर भेज सकता है और इसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी के नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में भी भेजी जानी चाहिए :

कृते आशियाना रोलिंग मिल्स लिमिटेड
हस्ता./-
देवेंद्र कुमार गोयल
(निदेशक)
(डीआईएन : 02071162)

स्थान : दिल्ली
तिथि : 27.04.2019

पंजीकृत कार्यालय : 6 टोडर मल लेन, ग्राउंड फ्लोर, नियर बंगाली मार्केट, दिल्ली-110001

"प्ररुप संख्या आईएनसी-25ए"
पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में संपरिवर्तन के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन

क्षेत्रीय निदेशक, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के समक्ष उत्तरी क्षेत्र
कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 41 के मामले में
मैसर्स **वेल्यू रियल एस्टेट डेवलपर्स लिमिटेड** जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : 316, बी-4, पर्यटन विहार, वसुंधरा एंक्लेव, नई दिल्ली – 110096, में स्थित है के मामले में,
....आवेदक

आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि कंपनी को ऐसे संपरिवर्तन का अधिकार देने के लिए तारीख 29 मार्च, 2019 को आयोजित विशेष आम अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प की शर्तों के अनुसार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में संपरिवर्तन करने की इच्छा रखने वाली कंपनी ने पूर्वोक्त नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के तहत केंद्र सरकार को एक अधीन आवेदन किया है।

कंपनी के प्रस्तावित परिवर्तन/स्थिति के कारण यदि किसी व्यक्ति के हित पर प्रभाव पड़ने की संभावना है तो वह व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह दिन के भीतर निम्नलिखित पते पर आवेदक कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय को भेजी गई प्रति सहित किसी हलफनामे द्वारा अपनी आपत्ति भेज सकता है या किसी के माध्यम से भिजवा सकता है या रजिस्ट्रीकृत पोस्ट द्वारा भेज सकता है जिसमें संबंधित निदेशक (बी-2 विंग, दूसरा तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003) को उसके हित और आपत्ति के आधार की प्रकृति का उल्लेख किया जाएगा।

आवेदक के लिए या उसकी ओर से
वेल्यू रियल एस्टेट डेवलपर्स लिमिटेड
हस्ता/-
अविनाश चंद्र सुद
निदेशक
डीआईएन : 00450436
316, बी-4, पर्यटन विहार, वसुंधरा एंक्लेव, नई दिल्ली – 110096.

तारीख : 25.04.2019
स्थान : दिल्ली

रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 316, बी-4, पर्यटन विहार, वसुंधरा एंक्लेव, नई दिल्ली-110096.

"प्ररुप संख्या आईएनसी-25ए"
पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में संपरिवर्तन के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन

क्षेत्रीय निदेशक, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के समक्ष उत्तरी क्षेत्र
कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 41 के मामले में
मैसर्स **ग्रीनलीफ इनजीनियरिंग लिमिटेड** जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : एफ-1170 चितरंजन पार्क नई दिल्ली – 110096 में स्थित है के मामले में,
....आवेदक

आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि कंपनी को ऐसे संपरिवर्तन का अधिकार देने के लिए तारीख 30 मार्च, 2019 को आयोजित विशेष आम अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प की शर्तों के अनुसार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में संपरिवर्तन करने की इच्छा रखने वाली कंपनी ने पूर्वोक्त नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के तहत केंद्र सरकार को एक अधीन आवेदन किया है।

कंपनी के प्रस्तावित परिवर्तन/स्थिति के कारण यदि किसी व्यक्ति के हित पर प्रभाव पड़ने की संभावना है तो वह व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह दिन के भीतर निम्नलिखित पते पर आवेदक कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय को भेजी गई प्रति सहित किसी हलफनामे द्वारा अपनी आपत्ति भेज सकता है या किसी के माध्यम से भिजवा सकता है या रजिस्ट्रीकृत पोस्ट द्वारा भेज सकता है जिसमें संबंधित निदेशक (बी-2 विंग, दूसरा तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003) को उसके हित और आपत्ति के आधार की प्रकृति का उल्लेख किया जाएगा।

आवेदक के लिए या उसकी ओर से
ग्रीनलीफ इनजीनियरिंग लिमिटेड
हस्ता/-
धीतीमान मुखर्जी
पूर्वकालिन निदेशक
डीआईएन : 01427733
एफ-1170 चितरंजन पार्क नई दिल्ली – 110096

तारीख : 25.04.2019
स्थान : दिल्ली

रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : एफ-1170 चितरंजन पार्क नई दिल्ली – 110096

"प्ररुप संख्या आईएनसी-25ए"
पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में संपरिवर्तन के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन

क्षेत्रीय निदेशक, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के समक्ष उत्तरी क्षेत्र
कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 41 के मामले में
मैसर्स **वेल्यू बजट होटलस लिमिटेड** जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : 316, बी-4, पर्यटन विहार, वसुंधरा एंक्लेव, नई दिल्ली – 110096, में स्थित है के मामले में,
....आवेदक

आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि कंपनी को ऐसे संपरिवर्तन का अधिकार देने के लिए तारीख 29 मार्च, 2019 को आयोजित विशेष आम अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प की शर्तों के अनुसार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में संपरिवर्तन करने की इच्छा रखने वाली कंपनी ने पूर्वोक्त नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के तहत केंद्र सरकार को एक अधीन आवेदन किया है।

कंपनी के प्रस्तावित परिवर्तन/स्थिति के कारण यदि किसी व्यक्ति के हित पर प्रभाव पड़ने की संभावना है तो वह व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह दिन के भीतर निम्नलिखित पते पर आवेदक कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय को भेजी गई प्रति सहित किसी हलफनामे द्वारा अपनी आपत्ति भेज सकता है या किसी के माध्यम से भिजवा सकता है या रजिस्ट्रीकृत पोस्ट द्वारा भेज सकता है जिसमें संबंधित निदेशक (बी-2 विंग, दूसरा तल, पं दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003) को उसके हित और आपत्ति के आधार की प्रकृति का उल्लेख किया जाएगा।

आवेदक के लिए या उसकी ओर से
वेल्यू बजट होटलस लिमिटेड
हस्ता/-
अविनाश चंद्र सुद
पूर्णकालिक निदेशक
डीआईएन : 00450436
316, बी-4, पर्यटन विहार, वसुंधरा एंक्लेव, नई दिल्ली – 110096.

तारीख : 25.04.2019
स्थान : दिल्ली

रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 316, बी-4, पर्यटन विहार, वसुंधरा एंक्लेव, नई दिल्ली-110096.

प्ररुप संख्या आईएनसी – 26
(कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)
प्रादेशिक निदेशक के समक्ष उत्तरी क्षेत्र,
(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (6) के खंड (अ) के मामले में
और
कान्हा रोलिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
इसका पंजीकृत कार्यालय : डी-80, विवेक विहार, दिल्ली – 110092 में है, के मामले में
...आवेदक

आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी गुरुवार 25 अप्रैल, 2019 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में अपने पंजीकृत कार्यालय को "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "उत्तर प्रदेश राज्य" में परिवर्तित करने के लिए कम्पनी के संस्था के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि चाहने हेतु कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रादेशिक निदेशक के समक्ष उत्तरी क्षेत्र के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कोई भी व्यक्ति जिसका कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से कोई भी हित प्रभावित होने की संभावना हो, वह अपने हित के प्रभाव से संबंधित आश्रय एवं आपत्ति की पृष्ठभूमि को दर्शाते हुए एक शपथपत्र के साथ अपनी आपत्ति एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत फार्म दाखिल करके या पंजीकृत डाक द्वारा क्षेत्रीय निदेशक, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय बी-विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, लोधी रोड नई दिल्ली-110003 के पास इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर भेज सकता है और इसकी एक प्रति आवेदक कम्पनी के नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में भी भेजी जानी चाहिए :

कृते कान्हा रोलिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता./-
विशाल बंसल
निदेशक
डीआईएन : 02720072

स्थान : दिल्ली
तिथि : 27.04.2019

पंजीकृत कार्यालय : डी-80, विवेक विहार, दिल्ली – 110092

"प्ररुप संख्या आईएनसी-25ए"
पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में संपरिवर्तन के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन

क्षेत्रीय निदेशक, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के समक्ष उत्तरी क्षेत्र
कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 41 के मामले में
मैसर्स **III फाइनैन्शल सॉल्यूशंस लिमिटेड** जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : 316, बी-4, पर्यटन विहार, वसुंधरा एंक्लेव, नई दिल्ली – 110096, में स्थित है के मामले में,
....आवेदक

आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि कंपनी को ऐसे संपरिवर्तन का अधिकार देने के लिए तारीख 27 मार्च, 2019 को आयोजित विशेष आम अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प की शर्तों के अनुसार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में संपरिवर्तन करने की इच्छा रखने वाली कंपनी ने पूर्वोक्त नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के तहत केंद्र सरकार को एक अधीन आवेदन किया है।

कंपनी के प्रस्तावित परिवर्तन/स्थिति के कारण यदि किसी व्यक्ति के हित पर प्रभाव पड़ने की संभावना है तो वह व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह दिन के भीतर निम्नलिखित पते पर आवेदक कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय को भेजी गई प्रति सहित किसी हलफनामे द्वारा अपनी आपत्ति भेज सकता है या किसी के माध्यम से भिजवा सकता है या रजिस्ट्रीकृत पोस्ट द्वारा भेज सकता है जिसमें संबंधित निदेशक (बी-2 विंग, दूसरा तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003) को उसके हित और आपत्ति के आधार की प्रकृति का उल्लेख किया जाएगा।

आवेदक के लिए या उसकी ओर से
III फाइनैन्शल सॉल्यूशंस लिमिटेड
हस्ता/-
अविनाश चंद्र सुद
पूर्णकालिक निदेशक
डीआईएन : 00450436
316, बी-4, पर्यटन विहार, वसुंधरा एंक्लेव, नई दिल्ली – 110096.

तारीख : 25.04.2019
स्थान : दिल्ली

रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 316, बी-4, पर्यटन विहार, वसुंधरा एंक्लेव, नई दिल्ली-110096.

ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग
द्वितीय तल, पारस टॉवर, माजरा, सहारनपुर रोड, देहरादून, उत्तराखंड-248171
रिकवरी ऑफिसर -2, डीआरटी देहरादून, के समक्ष

मांग एवं उपस्थिति की सूचना

(आयकर अधिनियम 1961 में दूसरे अनुसूची के नियम 2 के तहत नोटिस ऋण वसूली एवं दिवालियापन अधिनियम 1993 की धारा 25 से 29 में पढ़े)।

आर. सी. नं. 401/2018 में टी. ए. नं. 487/2018 डीवाई नं0 35 दिनांक 16.04.2019

केनरा बैंक
मौजमपुर जेतरा, धामपुर, जिला बिजनौर उ.प्र.
बनाम
मैसर्स देव ब्रुश एंटरप्राइजेज एवं अन्य

सेवा में,

सीडी 1 : **मैसर्स देव ब्रुश एंटरप्राइजेज द्वारा प्रोपराइटर श्रीमती जौली त्यागी निवासी मौहल्ला शेखान, शेरकोट, जिला- बिजनौर, उ.प्र. – 246767**
सीडी 2 : **श्रीमती जौली त्यागी पत्नि प्रभात देव, निवासी मकान नंबर 84, उमरपुर, आशा –1, पी.एस. उमरपुर आशा, जिला- बिजनौर, उ.प्र. – 246767**

सर्टिफिकेट देनदार

(i) यह सूचित किया जाता है कि रु 13,88,390/- (तेरह लाख अट्ठासी हजार तीन सौ नब्बे मात्र) के साथ पेंडेंट लाइट और भविष्य के ब्याज कि राशि 10.50% प्रति वर्ष साधरण दर से ओ. ए. फाईलिंग दिनांक 17.05.2016 से शेष राशि पर घटते क्रम के अनुसार व अन्य खर्चे, रु 16,000.00 के लिए रिकवरी सर्टिफिकेट दिनांक 05.11.2018 को जारी के अनुसार आप पर बकाया है जोकि माननीय पीठासीन अधिकारी ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून द्वारा टी.ए. क्रमांक 487/2018 मे जारी की है।

(ii) आपको सूचित किया जाता है कि उक्त बकाया कुल राशि डिमांड नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के अन्दर जमा कर दे। विफल होने पर ऋण वसूली एवं दिवालियापन अधिनियम, 1993 के तहत प्रावधानों एवं नियमों के अनुसार वसूली की जायेगी।

(iii) उपरोक्त राशि के अतिरिक्त आप भुगतान करने के लिए बाध्य होंगे :

अ) इस निष्पादन की सूचना की कार्यवाही के तुरंत बाद से शुरु होने वाली अवधि के लिए देय ब्याज।

ब) इस सूचना की सेवा के संबंध में किए गये सभी खर्च, शुल्क और व्यय एवं अन्य प्रक्रिया के लियें राशि वसूली मे शामिल की जा सकती है।

(iv) यदि उपरोक्त राशि आपके द्वारा भुगतान नहीं की जाती है तो आपको आदेशित किया जाता है कि अग्रिम कार्यवाही हेतु आप 15.07.2019 को प्रात: 11.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हो।

मेरे द्वारा एवं मुहर के अधीन 16 अप्रैल 2019 को इस ट्रिब्यूनल द्वारा जारी किया गया।

वसूली अधिकारी-II
डीआरटी, देहरादून

ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग
द्वितीय तल, पारस टॉवर, माजरा, सहारनपुर रोड, देहरादून, उत्तराखंड-248171
रिकवरी ऑफिसर -2, डीआरटी देहरादून, के समक्ष

मांग एवं उपस्थिति की सूचना

(आयकर अधिनियम 1961 में दूसरे अनुसूची के नियम 2 के तहत नोटिस ऋण वसूली एवं दिवालियापन अधिनियम 1993 की धारा 25 से 29 में पढ़े)।

आर. सी. नं. 45/2019 में ओ. ए. नं. 231/2018 डीवाई नं0 59 दिनांक 22.04.2019

केनरा बैंक
अमरोहा गेट, मुरादाबाद उ.प्र.
बनाम
मैसर्स शीतल एन्टरप्राइजेज एवं अन्य

सेवा में,

सीडी 1 : मैसर्स शीतल एंटरप्राइजेज प्रोपराइटर श्री अमित कुमार अग्रवाल, डी.एस. काम्प्लेक्स चौराहा काली, मुरादाबाद, यू.पी.
सीडी 2 : अमित कुमार अग्रवाल पुत्र श्री सुभाष चंदर अग्रवाल, निवासी 65, शिवपुरी डबल फाटक, मुरादाबाद, तहसील और जिला मुरादाबाद, यू.पी.

सर्टिफिकेट देनदार

(v) यह सूचित किया जाता है कि रु 22,07,030.20 (बाईस लाख सात हजार तीस व पैसे बीस मात्र) के साथ पेंडेंट लाइट और भविष्य के ब्याज कि राशि 12.00% प्रति वर्ष साधरण दर से ओ. ए. फाईलिंग दिनांक 06.08.2018 से शेष राशि पर घटते क्रम के अनुसार व अन्य खर्चे, रु 58,005.00 के लिए रिकवरी सर्टिफिकेट दिनांक 04.01.2019 को जारी के अनुसार आप पर बकाया है जोकि माननीय पीठासीन अधिकारी ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून द्वारा ओ.ए. क्रमांक 231/2018 मे जारी की है।

(vi) आपको सूचित किया जाता है कि उक्त बकाया कुल राशि डिमांड नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के अन्दर जमा कर दे। विफल होने पर ऋण वसूली एवं दिवालियापन अधिनियम, 1993 के तहत प्रावधानों एवं नियमों के अनुसार वसूली की जायेगी।

(vii) उपरोक्त राशि के अतिरिक्त आप भुगतान करने के लिए बाध्य होंगे :

सी) इस निष्पादन की सूचना की कार्यवाही के तुरंत बाद से शुरु होने वाली अवधि के लिए देय ब्याज।

डी) इस सूचना की सेवा के संबंध में किए गये सभी खर्च, शुल्क और व्यय एवं अन्य प्रक्रिया के लियें राशि वसूली मे शामिल की जा सकती है।

(viii) यदि उपरोक्त राशि आपके द्वारा भुगतान नहीं की जाती है तो आपको आदेशित किया जाता है कि अग्रिम कार्यवाही हेतु आप 08.08.2019 को प्रात: 11.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित हो।

मेरे द्वारा एवं मुहर के अधीन 22 अप्रैल 2019 को इस ट्रिब्यूनल द्वारा जारी किया गया।

वसूली अधिकारी-II
डीआरटी, देहरादून